संख्या– 200 / एक–10–2020–33(221) / 2011 टीसी–2

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा एवं फिरोजाबाद।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ:दिनांक: 22 अप्रैल, 2020

विषयः- नोवल करोना वायरस (कोविड-19) से बचाव व प्रबन्धन हेतु जनपदों में स्थापित मेडिकल कालेजों में आवश्यक उपकरणों/ कन्ज्यूमेबल आदि क्रय करने के लिये धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-**168/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 01.04.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा** विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 798/71-2-2020-698/2020 टी0सी0, दिनांक 30 मार्च, 2020 में उल्लिखित मेडिकल कालेजों (जिसमें जनपद आगरा का एफ0एच0 प्राइवेट मेडिकल कालेज भी सम्मिलित है), को कोरोना वायरस से संक्रमित भर्ती मरीजों के उपचार हेतु रू0 50-50 लाख की धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद आगरा में स्थित एफ0एच0 मेडिकल कालेज को जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित भर्ती मरीजों के उपचार हेतु अधिग्रहण किया गया है, अतएव एफ0एच0 मेडिकल कालेज हेतु कन्ज्यूमेबिल्स क्रय के संबंध में जनपद आगरा को रू0 50.00 लाख की स्वीकृत धनराशि को जिलाधिकारी फिरोजाबाद के निवर्तन पर रखे जाने की हेतु आदेश निर्गत कर दिया जाय।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र सं0-168/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 01.04.2020 द्वारा जनपद आगरा को **स्वीकृत** रू0 250.00 लाख में से रू0 50.00 लाख की धनराशि, शासन के पत्र सं0-**180/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2,** दिनांक 11.04.2020 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृत प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त पत्र सं0-**168/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2,** दिनांक 01.04.2020 में उल्लिखित शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 200 (1) / एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।

(लेखाशीर्ष 11) एसडीआरएफ से सामान्य व्यय धनावंटन 2019-20 //71

Minus Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
समर्पण दिनांक-22/04/2020

प्रेषण संख्या:- 200
समर्पण आदेश संख्या:- 001-200
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का समर्पण)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000

महायोग- (वर्तमान समर्पण):- रूपया पचास लाख
महायोग- (प्रगामी समर्पण):- रूपया पचास लाख

उमेश कुमार उपाध्याय
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन